इकाई–II

आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएँ

1. राजनीतिक समाजीकरण (Political Socialisation)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिकी राज्यों के अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति में अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। व्यवहारवादी क्रान्ति के अन्तः अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण भी राजनीति विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाएं शामिल की गई। समाज शास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के बढ़ते अन्तर्सम्बन्धों के फलस्वरूप कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में शामिल हुई, जिनमें राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक समाजीकरण आदि प्रमुख है।

इस तरह राजनीतिक समाजीकरण समाजशास्त्रीय संकल्पना समाजीकरण से प्रेरित है।

समाजीकरण समाज में निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति–रिवाजों, परम्पराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं अर्थात् समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन का तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा एवं खान–पान की आदतें सीखाता है।

इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा बालक मानव समाज से उस विशेष समाज का सदस्य बनता है। राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने–सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिनके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है, राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है। इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं।

दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित करने का एक साधन है। वास्तव में, राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ आदर्श होते हैं, जैसे – भारत का आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं स्वतंत्र समाज है, अतः भारत में राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र एवं स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा, वहीं साम्यवादी चीन का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था एवं बन्द समाज है, इसलिए चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरुप बनाने का प्रयास किया जाता है।

राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वालों में हरबर्ट हाइमन प्रमुख है, जिन्होंने अपनी पुस्तक "Political Socialization" में इसके विविध पक्षों पर प्रकाश डाला। आमण्ड और पॉवेल के अनुसार, "राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है"।

कावनाघ के शब्दों में, "राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है"।

इन परिभाषाओं का सार यह है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना तथा विकसित करना है, जिससे की वे राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बन सके।

1.1 राजनीतिक समाजीकरण के साधन (Tools of Political Socialization)

व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में अनेक संस्थाएं होती है, जैसे – परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रक्रियाएं, जनसंचार के साधन इत्यादि। इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी है जो अनायास एवं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती है, जबकि कुछ ऐसी होती है जो औपचारिक तरीकों से यह कार्य करती है। प्रायः खुले एवं लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समाजीकरण में अनौपचारिक प्रक्रियाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि चीन जैसे साम्यवादी एवं पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी राज्यों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति की जबरन घूंट पिलाई जाती है। उपर्युक्त संस्थाएं किस प्रकार से यह कार्य करती है, इस पर दृष्टि डालना उपयोगी रहेगा।

1.2 परिवार (Family)

परिवार प्रथम पाठशाला मानी जाती है, जिसके माध्यम से बालक रीति–रिवाजों और परम्पराओं को सीखता हैं वह अपने माता–पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है, जिससे उसमें सत्ता का बोध होता है। इसके अलावा सबके साथ मिलकर रहने, परिवार में सहयोग करने एवं अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार दबाव बनाया जाये आदि बाते

सीखकर वह राजनीतिक क्रियाओं की क्षमता विकसित करता है। सामान्यतः चुनावी अनुभव यह बताते हैं कि परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल का समर्थक होता है, परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। इस प्रकार राजनीति के प्रति प्रारम्भिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से ही होता है।

1.3 शिक्षण संस्थाएं (Educational Institutions)

राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को आत्मसात करता है, शिक्षण संस्थाओं में वे और अधिक दृढ़ बन जाते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के सहभागियों के साथ अनुकूलन करने की आवश्यकता से बालक राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधताओं और विरोधाभासों के साथ समायोजन करना सीखता है।

बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, इसकी सम्भावना ज्यादा है कि वह राजनीति में उतनी ही रुचि लेगा, उसके राजनीतिक ज्ञान का विकास होगा। लेकिन शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम कैसा है, उसकी मित्र मण्डली कैसी है अथवा शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण एवं वैचारिक अभिमुखीकरण कैसा है, यह सब तत्व भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि शिक्षक अपने आचरण एवं अन्य विभिन्न तरीकों से अपने विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं।

1.4 राजनीतिक दल (Political Parties)

राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधारा और कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक देशों एवं साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका अलग–अलग होती है। ऐसे राज्यों में समाजीकरण के साधनों पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है, जबकि लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है एवं वे स्वतंत्रतापूर्वक अपने–अपने विचारों के अनुरूप समाजीकरण के लिए स्वतंत्र होते हैं।

1.5 राष्ट्रीय प्रतीक (National Symbols)

विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह, सेना की परेड आदि के माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भाव पैदा किये जाते हैं।

1.6 जनसंचार के साधन (Means of Communication)

आधुनिक समय में जनसंचार के साधन समाचार पत्र, टी. वी., रेडियो आदि व्यक्ति के राजनीतिक ज्ञान को तथा उसके विचारों को दिशा देने का सशक्त माध्यम बन चुके है। भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव आजकल मीडिया के दफ्तरों में से लड़े जाते हैं, क्योंकि वे विभिन्न कार्यक्रमों से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

इस तरह राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला महत्त्वपूर्ण कारक होता है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक समाजीकरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश में नागरिकों व सरकार के बीच अन्तःक्रिया का अभाव पाया जाता है, वहीं किसी और देश में सरकारों के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में नागरिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह अन्तर वास्तव में राजनीतिक समाजीकरण के स्तर का अन्तर है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना है। यही शिक्षा, राजनीतिक व्यवस्था के सुचारु संचालन में सहायक बनती है।
- राजनीतिक समाजीकरण के साधन है – परिवार, शिक्षण संस्थाएँ, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक व जनसंचार के साधन।
- शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, उसका राजनीतिक समाजीकरण उतना ही सुदृढ़ होगा।

अभ्यास प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. इनमें से कौनसा विचारक राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या करता है ?

(अ) हरबर्ट हाइमन (ब) कावानाद्य
(स) आमण्ड और पावेल (द) उपरोक्त सभी ( )

2. कौनसा अभिकरण राजनीतिक समाजीकरण में सहायक नहीं है–

(अ) परिवार (ब) शिक्षण संस्था
(स) राजनीतिक दल (द) अनियंत्रित भीड़ ( )

3. ''पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन'' पुस्तक के लेखक है–

(अ) डेविड ईस्टन (ब) अमर्त्यसेन
(स) हरबर्ट हाइमन (द) लिकॉक ( )

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. राजनीतिक समाजीकरण के दो अभिकरण / साधन बताओ।
2. जनसंचार के तीन माध्यम बताइए।
3. विद्यार्थी का राजनीतिक समाजीकरण किस संस्था में होता है ?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. परिवार राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे पूर्ण करते हैं ?
2. राजनीतिक समाजीकरण में संचार माध्यमों की भूमिका बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया पर एक लेख लिखिए।

बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. द 2. द 3. स

2. राजनीतिक संस्कृति
(Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिवृत्तियों, विश्वासों, प्रतिक्रियाओं, अपेक्षाओं और सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवहार से ही किसी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति उस व्यापक सामान्य संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें समाज के सदस्य अपने मूल्यों, भावनात्मक मनोवृत्तियों, विश्वासों और भावनाओं को संचारित करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य जीवन पद्धति और दृष्टिकोण का विकास ही सामान्य संस्कृति है। राजनीतिक संस्कृति उसी सामान्य संस्कृति के राजनीतिक शासकीय दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। चूँकि राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का परिणाम है और यह राजनीतिक व्यवहार गतिशील होता है। तदनुसार राजनीतिक संस्कृति भी स्थिर न होकर गतिशील होती है।

2.1 राजनीतिक संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of Political Culture)–

राजनीतिक संस्कृति को आमण्ड ने कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, डेविड ईस्टन ने पर्यावरण, स्पिरो ने राजनीतिक शैली नाम से उद्धृत किया है। राजनीतिक संस्कृति को विकासशील देशों के सन्दर्भ में सर्वप्रथम अवधारणा के रूप में प्रतिपादित करने वाले आमण्ड और पॉवेल ने एक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार ''राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति–व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं की शैली है''। एलन बॉल ने अपनी पुस्तक ''आधुनिक राजनीति और सरकार'' में उसे परिभाषित करते हुए कहा है कि '' राजनीतिक संस्कृति का निर्माण समाज की उन अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मूल्यों के समूह से होता है। जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ सम्बन्ध है। ''

लुसियन पाई के अनुसार ''राजनीतिक संस्कृति का सम्बन्ध अभिवृत्तियों, विश्वासों एवं भावनाओं के समूह से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता तथा सार्थकता प्रदान करते हैं और ऐसे अन्तर्निहित विचार एवं नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ''

सिडनी बर्बा के शब्दों में ''राजनीतिक संस्कृति में आनुभविक विश्वासों, अभिव्यक्तात्मक प्रतीकों और मूल्यों की वह व्यवस्था निहित है जो उस परिस्थिति अथवा दशा को परिभाषित करती है जिसमें राजनीतिक क्रिया सम्पन्न होती है।''

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सदस्यों की मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति है, प्रतिक्रिया है एवं अपेक्षा है।

राजनीतिक संस्कृति के घटक
(Components of Political Culture)

राजनीतिक संस्कृति में अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय नामक दो घटक है–

(1) अभिमुखीकरण– अभिमुखीकरण का शाब्दिक अर्थ प्रवृति या झुकाव है। आमंड और पावेल ने अभिमुखीकरण के तीन घटकों या अंगों का उल्लेख किया है जो निम्नलिखित है–

(क) ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण अर्थात् राजनीतिक विषयों का ज्ञान और उनके अस्तित्व के प्रति सजगता।

(ख) भावात्मक अभिमुखीकरण अर्थात् इन विषयों के प्रति व्यक्तियों के मन में पैदा होने वाले भावावेग और अनुभूतियां।

(ग) मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण अर्थात् उन विषयों के बारे में व्यक्ति का उचित–अनुचित या शुभ–अशुभ का मूल्यांकन।

(2) राजनीतिक विषय– अभिमुखीकरण के चार विषय है –

(क) राजनीतिक व्यवस्था

(ख) राजनीतिक संरचना

(ग) समस्याएं एवं नीतियां

(घ) राजनीतिक कर्ता के रूप में व्यक्ति

2.2 राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व (Determinants of Political Culture)–

इतिहास – किसी भी व्यवस्था की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परम्पराओं और प्रचलित मूल्यात्मक प्रणालियों के द्वारा ही होता है। भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक, शांतिवादी लोकतांत्रिक होगी तो वहीं कुछ अर्द्धविकसित देशों में राजनीतिक संस्कृति हिंसक अथवा अलोकतांत्रिक हो सकती है। इसी तरह इंग्लैण्ड में राजनीतिक संस्कृति वहाँ की राजनीतिक निरन्तरता का परिणाम है जबकि फ्राँस की राजनीतिक संस्कृति फ्राँस की क्रान्ति का परिणाम है।

धार्मिक विश्वास – वर्तमान में धर्म राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है बल्कि कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्था व संस्थाएँ किस प्रकार की होगी, इस बात को भी निर्धारित करते हैं।

भौगोलिक परिस्थिति – देश की भौगोलिक स्थिति उपलब्ध संसाधनों, जनसंख्या की प्रकृति की भी उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्ती भूमिका होती है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक परिवेश वाले देश की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से एक छोटे से यूरोपीय अथवा अफ्रीकी देश से भिन्न होगी।

सामाजिक–आर्थिक परिवेश – देश का सामाजिक, धार्मिक, जातिगत, विभिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता इत्यादि से भी राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति निर्धारित होती है। धार्मिक विश्वास का प्रभाव मध्यपूर्व के देशों की राजनीतिक संस्कृति पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। आर्थिक रूप से विपन्न या विकासशील देशों में राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों के जैसी नहीं हो सकती क्योंकि अपेक्षाओं और जीवन शैली का स्तर भिन्न हो जाता है।

विचारधाराएँ – विचारधाराओं का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णायक होता है। उदारवाद, मार्क्सवाद, पूँजीवाद जैसी विचारधाराएं अपने वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक भूमिका निभाती है। उपरोक्त तत्वों के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, मीडिया तथा प्रेस, शिक्षा इत्यादि की भी भूमिका राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में होती है।

अन्य तत्व – इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति–रिवाज आदि भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में भूमिका अदा करते हैं।

2.3 राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएँ (Characteristics of Political Culture) –

राजनीतिक संस्कृति को किसी समाज की परम्पराओं, उसकी सार्वजनिक संस्थाओं की आत्मा एवं उसके नागरिकों की आकांक्षाओं, उसके सामूहिक विवेक, उसके नेताओं के तरीके तथा सक्रिय होने के नियम आदि के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसकी विशेषताएँ इस प्रकार है –

1. **समन्वयकारी स्वरूप** – राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरन्तर संघर्ष भी जारी रहता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता इन दोनों के मध्य समन्वय करने की होनी चाहिए।
2. **नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण** – राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है और कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप।
3. **अमूर्त स्वरूप** – जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है जो कि राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं भाँपा जा सकता है, क्योंकि जनता के मनोमस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते रहते हैं।
4. **गतिशीलता** – व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य, परिस्थितयों और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं, इसी आधार पर राजनीतिक संस्कृति भी गतिशील बनी रहती है।

2.4 राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र –

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि जनता के मूल्य विश्वास व कुशलता का राजनीति पर सामान्य रूप से महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, विशेषतः लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। एक समाज में संस्कृति–व्यवहार, मूल्य और ज्ञान की वह व्यवस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। कई अन्य उपागमों की तरह ही 1950–60 के दशक में उभरे इस उपागम पर भी यूरोपीय केन्द्रवादी धारणा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अन्तर्गत विचारकों ने अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए उसके स्थायित्व व अस्थायित्व के कारणों की खोज राजनीतिक संस्कृति उपागम के द्वारा करना शुरु किया। विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था व इसकी पूर्व शर्तों के बीच सम्बन्धों को समझने की चेष्टा की गई। इन सम्बन्धों पर विचार करना इसलिए भी जरुरी हो गया था, क्योंकि दोनों विश्वयुद्धों के बाद भी ब्रिटेन व संयुक्त राज्य अमेरीका में उदार लोकतंत्र या संस्थाएँ सुरक्षित रही। जबकि जर्मनी, स्पेन, इटली, के संवैधानिक ढाँचे पूर्ण रूप से नष्ट हो गए। इटली, जर्मनी के अनुभवों ने इस तथ्य को निरर्थक साबित कर दिया कि जहाँ संवैधानिक ढाँचे होंगे वहाँ धीरे–धीरे उदार लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में मददगार होंगे। 1950 और 60 की दशक में तीसरी दुनिया के नवोदित देशों के संवैधानिक ढाँचों का पतन इस बात का उदाहरण था कि लोकतंत्रात्मक प्रणाली मात्र उचित व उपयुक्त सामाजिक परिवेश में ही पनप सकती है और इस सामाजिक परिवेश को राजनीतिक संस्कृति द्वारा ही निर्मित किया जा सकता है। इस प्रकार लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अब तक जिन संस्थागत और सामाजिक–आर्थिक तत्वों को पर्याप्त माना जाता था वे अपूर्ण सिद्ध हुए और इसी कारण राजनीतिक संस्कृति का उपागम एक नवीन दृष्टिकोण से सांस्कृतिक तत्वों को अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनाते हुए राजनीति के अध्ययन के लिए इसे महत्त्वपूर्ण मानती है। राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र के मध्य सम्बन्धों पर सबसे महत्त्वपूर्ण आनुभविक अनुसंधान गेब्रियल आमण्ड व सिडनी वर्बा द्वारा 1963 में लिखित प्रसिद्ध रचना "The Civic Culture : Political Attitudes & Democracy in Five Nations" द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरीका और मैक्सिकों के लोकतंत्र की स्थिरता या अस्थिरता पर राजनीतिक संस्कृति के प्रभावों का विश्लेषण किया था। विशेष रूप से एक ओर ब्रिटेन तथा अमेरीका की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया गया था, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी तथा इटली की राजनीतिक संस्कृति में अन्तर का खुलासा किया गया। आमण्ड व वर्बा के अनुसार '' राजनीतिक संस्कृति से तात्पर्य है राजनीतिक दलों, न्यायालयों, संविधान और राज्य के इतिहास जैसे विषयों के प्रति – अभिविन्यासों का प्रतिमान अर्थात् समाज का कोई भी सदस्य इन संस्थाओं के संदर्भ में या अपने राजनीतिक पर्यावरण के सन्दर्भ में अपने आपको कहाँ रखता है।'' अन्य शब्दों में एक व्यक्ति अपने देश की सरकार से क्या अपेक्षाएँ रखता है व उसके संचालन में अपनी क्या भूमिका समझता है। क्या वह सरकार के सामने अपने आपको विवश महसूस करता है अथवा अपनी आवाज वहाँ तक पहुँचाने और

न्याय प्राप्त करने की आशा रखता है ?क्या वह यह समझता है कि वह शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है ? सार रूप में व्यक्ति का झुकाव राजनीतिक कार्यवाही के प्रति किस तरह का है, और यह राजनीतिक संस्कृति के द्वारा कैसे प्रभावित होता है।

2.5 राजनीतिक संस्कृति के प्रकार (Kinds of Political Culture) –

राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण का आधार यह है कि व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में किस रूप और किस सीमा तक भाग लिया जाता है। इस आधार पर आमंड और वर्बा ने तीन प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बतलाई है –

(क) संकीर्ण संस्कृति– इसके अन्तर्गत नागरिकों को ना तो राजनीतिक मुद्‌दों की जानकारी होती है और ना ही अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है।

(ख) अधीन या प्रजाभावी संस्कृति– इसके अन्तर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्‌दों की जानकारी तो होती है किन्तु उन्हें अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ नहीं होती है।

(ग) सहभागी संस्कृति– इसके अन्तर्गत नागरिकों को राजनीतिक मुद्‌दों और अपनी राजनीतिक भूमिका की समझ होती है।

राजनीतिक संस्कृति के प्रकार तथा आनुभविक आधार पर प्रचलित संस्कृतियों पर विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग–अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत की है। आमण्ड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर चार प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है –

1. **आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था** – ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों में सामंजस्यकारी, उदारवादी मूल्यों वाली लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति।

2. **महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था** – फ्राँस, जर्मनी इत्यादि देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद एक राजनीतिक संस्कृति के बजाय कई उप–संस्कृतियों और परिणाम स्वरूप हिंसात्मक संघर्ष से उत्पन्न राजनीतिक संस्कृतियाँ भी दृष्टिगोचर होती है।

3. **गैरपश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था** – एशिया तथा अफ्रीका के अनेक पूर्व उपनिवेश जहाँ औद्योगिक आर्थिक विकास और लोकतंत्र अभी भी नवजात या अल्पविकसित अवस्था में है।

4. **सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था** – अधिनायकवादी, सर्वाधिकारवादी अलोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएँ जहाँ विपक्ष और विरोध की संभावना नहीं होती। एशिया अफ्रीका के अनेक सैन्य तानाशाही और चीन–उत्तर कोरिया जैसे साम्यवादी देश।

इन स्थानों की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति में अन्तर साफ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त फाइनर ने सत्ता में सैन्य भूमिका के आधार पर परिपक्व, विकसित, निम्न और न्यूनास्तरीय राजनीतिक संस्कृतियों की चर्चा की है। परिपक्व मे सैन्य सत्ता की भूमिका न्यून होगी और बाकियों में क्रमशः बढ़ जाएगी।

वाइसमैन ने तीन विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियों, संकुचित, पराधीन, सहभागी तथा तीन मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों संकुचित पराधीन, सहभागी तथा संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण किया है।

उक्त वर्गीकरण राजनीतिक व्यवस्था में जनभागीदारों की दशा की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर जन संस्कृति तथा अभिजनवादी संस्कृति का भेद किया जाता है। सामान्यतः जन संस्कृति की अपेक्षाएँ अभिजनवादी संस्कृति से भिन्न होती है।

राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती क्योंकि सामाजिक परिवेश और राजनीतिक व्यवस्था स्वयं स्थिर नहीं होती। राजनीतिक संस्कृति से ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक व्यवहार और तदनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थिरता तय होती है।

भारत में 1990 के पूर्व और उसके पश्चात् की राजनीतिक संस्कृति में काफी अंतर दिखाई देता है।

2.6 राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण (Political Culture & Political Socialisation)–

आमण्ड व वर्बा के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों तथा मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण जैसे व्यक्ति का परिवार, मित्रमंडली, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थान, लोकसंचार, हित समूह व राजनीतिक दल आदि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है। राजनीतिक समाजीकरण के जरिए ही समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित करता है। यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सभी व्यक्ति बने बनाए ढाँचों में ढल जाए, परन्तु इससे राजनीतिक जीवन में निरन्तरता अवश्य बनी रहती है। साथ ही राजनीतिक प्रणाली नए दबावों और तनावों को झेलने की सहनशक्ति विकसित कर लेती है। साधारणतयाः राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, लेकिन यदि किसी देश विशेष की राजनीतिक संस्कृति, अनेक उपसंस्कृतियों में बंटी हो तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना अपरिहार्य होगा।

2.7 राजनीतिक संस्कृति का महत्त्व (Importance of Political Culture) –

आमण्ड, वर्बा आदि विचारकों ने इस उपागम को विकसित किया है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जब से राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत हुई, तब से

राजनीतिक प्रणाली या संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और अस्थिरता के कारणों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। वर्तमान समय में इसके महत्त्व को अनदेखा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इसके निम्न लाभ है –

राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं का केन्द्र बिन्दु औपचारिक संस्थाएँ न रहकर राजनीतिक समाज बन गया। दूसरा, इस अवधारणा ने राजनीतिशास्त्रियों को राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया है। तीसरा, इस अवधारणा ने अध्ययन में विवेकता लाने का प्रयत्न किया है। चौथे, राजनीतिक संस्कृति उपागम ने यह बताने का प्रयास किया है कि क्यों विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएँ ग्रहण करते हैं। अंत में इस उपागम से राजनीति शास्त्र सूक्ष्म और व्यष्टि उपागमों के मिलन के माध्यम से एक सम्पन्न समाजशास्त्र बन गया है।

निष्कर्ष (Conclusion) –

उपर्युक्त समीक्षा के बाजजूद राजनीतिक संस्कृति तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारधारा है। जब से आमण्ड व वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना प्रस्तुत की है तब से इसकी ओर बिना दृष्टि डाले किसी भी देश की राजनीति या तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन नहीं किया जा सकता।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है जो, राजनीति के प्रति लोगों की धारणाओं व अभिवृत्तियों का नाम है।
- राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख विचारक– सिडनी बर्बा, आमंड व पावेल, एलन बॉल, हींज यूलाउ, ल्यूशियन पाई है।
- आमण्ड ने चार प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियों का उल्लेख किया है – आंग्ल अमेरीकी राजनीतिक व्यवस्था, महाद्वीपीय यूरोपीय राज व्यवस्था, पूर्वी औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था व सर्वाधिकारवादी व्यवस्था।

अभ्यास प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. भारत व पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्थाओं में अन्तर का मुख्य कारण है ?

(अ) भौगोलिक स्थिति
(ब) राजनीतिक संस्कृति
(स) राजनीतिक विकास
(द) राजनीतिक आधुनिकीकरण ( )

2. एलन बॉल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक का नाम है –

(अ) आधुनिक राजनीति और सरकार
(ब) भारतीय राजनीति और सरकार
(स) विश्व राजनीति की एक झलक
(द) हिन्द स्वराज ( )

3. इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का निर्धारक तत्व नहीं है –

(अ) इतिहास
(ब) सामाजिक आर्थिक परिवेश
(स) भौगोलिक परिस्थितियाँ
(द) लोगों की वेशभूषा ( )

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार कौन से है ?
2. राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विचारक कौन–कौन से है?
3. आमण्ड व पावेल की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा लिखिए।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. राजनीतिक संस्कृति क्या है ?
2. राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए।
3. राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व बताइए।
4. अभिजात्य संस्कृति को स्पष्ट कीजिए।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए वर्तमान में प्रचलित संस्कृतियों का विवेचन कीजिए।

बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. ब 2. अ 3. द

3. राजनीतिक सहभागिता (Political Participation)

राजनीतिक सहभागिता आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में विशेष महत्त्व रखती हैं इसका अर्थ हैं – जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी। जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा व्यवस्था के सुचारू संचालन में विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती हैं तो इस प्रवृत्ति को जन सहभागिता या राजनीतिक सहभागिता कहा जाता हैं। राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिये स्विटजरलैण्ड विश्व का अग्रणी लोकतांत्रिक देश हैं। वहाँ पर जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को "वापिस बुलाने का अधिकार" हैं। वहाँ की जनता जनमत संग्रह के द्वारा जन सहमति से देश के कानूनों में भी परिवर्तन कर सकती हैं। ऐसे अधिकार जब जनता के पास हो तो राजनीतिक प्रक्रिया में चुने प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की अनदेखी नहीं कर सकते। वे सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण–तत्व मानी गयी हैं। प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज वास्तव में एक "सहभागिता पूर्ण समाज" होता हैं।

किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था क्यों न हो, यथार्थ में राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों में ही केन्द्रित होती हैं। जिस राजनीतिक समाज में राजनीतिक शक्ति सम्पन्न सत्ताधारी व्यक्ति जन साधारण को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिये निरन्तर प्रेरित करते हैं और ऐसी भागीदारी को सकारात्मक मानते हैं। वहाँ पर स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं का विकास होता हैं जो निरन्तर जारी रहता हैं। किसी भी व्यवस्था को सबल तभी बनाया जा सकता है जब उसमें जन सहभागिता का अंश ज्यादा हो। जिस राजनीतिक व्यवस्था में जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है अथवा शासकीय वर्ग उसके सक्रिय भूमिका अदा करने के मार्ग में रोड़ा डालते है वहाँ व्यवस्था के शीघ्र ही विघटन की ओर अभिमुख होने की आशंका बन जाती हैं।

3.1 राजनीतिक सहभागिता का अर्थ (Meaning of Political Participation) –

राजनीति विज्ञान में 'राजनीतिक सहभागिता' का सूत्रपात व्यवहारवादियों ने किया। यद्यपि इस अवधारणा का प्रारम्भिक सन्दर्भ रूसो तथा गणतंत्रवादियों के लेखों में प्राप्त होता हैं। राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की सम्पूर्ण भागीदारी से हैं। राजनीतिक सहभागिता एक व्यवस्था में राजनीतिक विकास को त्वरित करती हैं। यह व्यवस्था को आधुनिक व उदार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसको निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता हैं:–

"यह उन स्वैच्छिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से सम्बन्धित हैं जिनमें नागरिक या जनता भाग लेती है और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में जन नीतियों के निर्माण में भाग लेती हैं। वे अन्ततः शासन में नीति निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं व सत्ताधारी लोगों की मनमानी पर अंकुश लगाती हैं।"
(मैक्ग्लोस्की), 1968 : 253

मैक्ग्लोस्की की मान्यता हैं कि राजनीतिक सहभागिता केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ही प्रवृत्ति नहीं हैं अपितु न्यूनाधिक मात्रा में यह सभी व्यवस्थाओं में विद्यमान रहती हैं। वे यह भी मानते हैं कि आधुनिक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी मात्रा का अधिक पाया जाना आवश्यक नहीं हैं। राजनीतिक सहभागिता विकासशील व अन्य व्यवस्थाओं में भी पायी जा सकती हैं। यह मात्रात्मक होने के स्थान पर गुणात्मक भी हो सकती हैं।

3.2 राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप (Kinds of Political Participation) –

सिद्धान्त रूप में राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप पाये जाते हैं– (1) विकास परक (2) लोकतांत्रिक। विगत 60–65 वर्षों में 'राजनीतिक सहभागिता' के अध्ययन का त्वरित प्रसार लोकतांत्रिक नीति निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के महत्त्व को परिलक्षित करता हैं। विश्व में 1940 व 1950 वीं दशाब्दी में चुनावी सहभागिता पर केन्द्रित अब यह भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था की हर प्रक्रिया को प्रभावित करती प्रतीत होती हैं। वोट देने व दिलाने, चंदा देने, याचिका प्रस्तुत करने, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालने, रैली निकालने से लेकर किसी विशेष मुद्दे पर धरना–प्रदर्शन व जन प्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन करना सभी राजनीतिक सहभागिता के औजार हैं। ज्यों–ज्यों शासकीय गतिविधियों व

उत्तरदायित्वों में बढ़ोतरी हुई हैं, राजनीतिक सहभागिता में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई हैं। सोशल मीडिया ने राजनीतिक सहभागिता को ओर मुखर कर दिया है। विकसित समाज के हर सामाजिक पहलु से राजनीतिक सहभागिता का गहरा जुड़ाव हो गया हैं।

वास्तव में 'राजनीतिक सहभागिता' के अध्ययन का प्रारम्भ ही इस बात में निहित हैं कि लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता दोनों अविभाज्य हैं।

पैरी ने लिखा हैं कि ''राजनीतिक सहभागिता से सम्बन्धित प्रत्येक पुस्तक, लोकतंत्र से भी सम्बन्धित होती हैं।''

काश और मार्श ने भी लिखा हैं कि ''राजनीतिक सहभागिता की धारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केन्द्र में अवस्थित हैं।''

''जहाँ निर्णयों में कम लोग भाग लेते हैं वहाँ लोकतंत्र का अंश कम होता हैं, जहाँ निर्णयन में अधिक भागीदारी होती हैं वहाँ अधिक प्रभावी लोकतंत्र पाया जाता हैं।''
(वर्बा और नी)

प्रजातांत्रिक निर्णयन में नागरिकों की भागीदारी लोकतंत्र की एक अपरिहार्य शर्त हैं, इसके विचार का सूत्रपात पैरीक्लीज ने (431–430 बीसी) ई॰पू॰ में अपने अन्तिम भाषण में कर दिया था। उसके अनुसार ''लोकतंत्र की निराली विशेषता उसके नागरिकों को प्राप्त भूमिका में निहित हैं।''

बैंजामिन बार्बर (1984 से 1995) ने सशक्त 'सहभागी लोकतंत्र' की पुरजोर वकालात की। उसने यह भी कहा कि सशक्त, सहभागी लोकतंत्र 'कमजोर उदार लोकतंत्र' की तुलना में बेहतर विकल्प हैं। उसने "Thin Democracy" or "Politics as Zookeeping" जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहा हैं कि ऐसे लोकतंत्र में व्यापक रूप में निजीभाव हावी रहता हैं। बैंजामिन ने एक मजबूत लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ऐसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि प्रतिद्वंद्वी नागरिक समूह, बिना किसी मध्यस्थ के सीधे स्वशासन में भाग ले जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से सीधा सम्पर्क हो। इस सम्बन्ध में किसी मध्यस्थ या विशेष योग्य बिचोलिये की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

राजशाही से लोकशाही की परिवर्तन यात्रा वस्तुतः नागरिकों की निरन्तर बढ़ती आकांक्षा और अपेक्षाओं का ही परिणाम कही जा सकती है। लोकशाही ने जब सैद्धान्तिक प्रक्रिया से आगे बढ़ कर प्रतिनिधि लोकतन्त्र का स्वरूप ग्रहण किया तब राजनीतिक सहभागिता भी आकारित होने लगी।

3.3 नागरिक चेतना और सहभागिता –

नागरिकों की चेतना, उनका शैक्षिक स्तर, वैचारिक धरातल आदि वे तत्व हैं, जो उनकी राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। यही कारण है कि जिन देशों का साक्षरता प्रतिशत जितना अधिक है वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना ही व्यापक होता है। यूरोपीय देशों की तुलना में एशियाई–अफ्रीकी देशों में शिक्षा साक्षरता की न्यून दर ही नागरिकों की राजनीतिक उदासीनता को दर्शाने के लिए पर्याप्त आधार कहा जा सकता है। इसी के साथ जनसंख्या का घनत्व और विस्तारित रूप से फैलाव भी वे कारण है जिनसे नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक रूप से चर्चा–परिचर्चा नहीं कर पाते हैं। देखा गया है कि बड़े देशों में अल्पमात्रा में ही नागरिकों का अपने प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संवाद हो पाता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों की लोकतान्त्रिक तथा राजनीतिक सहभागिता अत्यल्प मात्रा में ही सक्रिय रह पाती है। स्वाभाविक रूप से इसे किसी देश के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता।

3.4 राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप –

लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की प्रभावी और सक्रिय सहभागिता प्रथम और अनिवार्य शर्त है। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर यह शर्त कहीं नहीं टिकती। प्रसिद्ध राजनीतिक चिन्तक जोसेफ शुंपीटर का कहना है कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियाँ बनाना व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का काम है, सामान्य नागरिकों की भूमिका चुनाव द्वारा अपनी पसन्द के राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तक सीमित है। स्पष्ट रूप से यह प्रक्रिया नागरिकों को नेपथ्य में धकेल देती है और शासन सत्ता या विपक्ष में केवल चुनिन्दा राजनीतिज्ञ होते हैं। यही नहीं ये जनप्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक दलों के सक्रिय तथा अग्रिम पंक्ति के व्यावसायिक राजनेता भी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पेचिदगियों के चलते नीति निर्माण में भी केवल सतही कार्य कर पाते है। वास्तविक सक्रियता और सत्ता में भागीदारी ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की होती है। इस प्रकार वर्तमान समय में वास्तविक सहभागिता अल्पमात्रा में अभिजात्य वर्ग के हाथों में सिमट कर रह गई है। स्पष्ट है कि आधुनिक लोकतन्त्रीय प्रणाली में लोकतन्त्र मूलतः राजनीतिज्ञों का शासन है जिसमें साधारण नागरिकों की भूमिका बहुत सीमित अल्पकालिक, रुक–रुक कर तथा

काल्पनिक मात्र है।

रॉवर्ट डहल ने लोकतन्त्र के इस अभिजात्य स्वरूप की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह ऐसी यन्त्रबद्ध व्यवस्था है जो बाजार के सिद्धान्तों का अनुसरण करती है तथा विभिन्न हित समूहों के परस्पर विरोधी हितों में सन्तुलन स्थापित करने के लिए स्वतः ही अभिजात्य प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। इस प्रक्रिया में सम्पूर्ण समाज शासन पर नियन्त्रण करने के लिए दो या कुछ अधिक समूहो में विभक्त होकर स्वनिर्मित अभिजात्य समूहों का अनुगामी हो जाता है। इस प्रकार ऐसी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में नागरिकों की सहभागिता का स्तर अत्यन्त न्यून होता है जो किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं माना जा सकता।

3.5 राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप –

राजनीतिक सहभागिता ऐसी गतिविधि है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निर्धारण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। व्यापक अर्थ में, यहाँ लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली के अन्तर्गत किसी भी राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी या साधारण नागरिक की गतिविधि हो सकती हैं। सहभागितामूलक लोकतन्त्र मूलतः लोकतन्त्रीय प्रक्रिया में साधारण नागरिकों की सहभागिता पर बल देता है। लोकतन्त्र में राजनीतिक सहभागिता के अनेक मानदण्ड अपनाए जाते हैं। अधिकांश अध्ययनों के अन्तर्गत मतदान में भाग लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा को ही राजनीतिक सहभागिता का सूचक मान लिया जाता है। कहीं–कहीं राजनीतिक दलों के प्रचार–अभियान में हिस्सा लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा पर भी विचार कर लिया जाता है। राजनीतिक सहभागिता के अन्य तरीके भी स्वीकार किए जाते हैं, जिन्हें इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है।

(1) **सामुदायिक गतिविधि** – इसके अन्तर्गत समुदाय के सदस्य किसी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए (जैसे कि स्वच्छता, सुरक्षा इत्यादि की व्यवस्था के लिए) एक–दूसरे के साथ मिल–जुलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामले को सुलझाने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से सम्पर्क करता है, या जब कोई नागरिक जलसे–जुलूस, विरोध–प्रदर्शन, हड़ताल, धरने या बहिष्कार की गतिविधियों में हिस्सा लेता है तो इस कार्यवाही को भी राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति मान लिया जाता है। नागरिक सहभागिता की मुख्य कसौटी यह है कि इस गतिविधि के बल पर कोई नागरिक सार्वजनिक नीति और निर्णयों को कहाँ तक प्रभावित कर पाता है?

(2) **सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया** –यह दोतरफा गतिविधि है। जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका प्रत्युत्तर देता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक सहभागिता को कार्य–रूप देने के लिए नागरिक भी पहल कर सकते हैं, राज्य अथवा सरकार भी पहल कर सकती है, जिसको हम निम्नानुसार समझ सकते हैं–

3.6 राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण –

1. **दबाव समूह** – उदार लोकतन्त्र के अन्तर्गत, लोगों के ऐसे समूह जो अपने किसी समान हित की सिद्धि के उद्देश्य से संगठित होते हैं; अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखकर लोक–मत का समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं; और अपनी आवाज सरकार तक पहुँचाकर ऐसी नीतियाँ बनवाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके हित के अनुरूप हों। यह प्रक्रिया पश्चिमी देशों में बहुत प्रभावी है। विकासशील देशों में दबाव समूहों ने अनेक बार ऐसे अवैद्यानिक तौर–तरीकों का भी सहारा लिया है जिससे सार्वजनिक जीवन की शुचिता नष्ट हुई है तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का भारी नुकसान हुआ है।
2. **आरम्भक (प्रस्ताव तैयार करना)** – प्रतिनिधि लोकतन्त्र के अन्तर्गत यह व्यवस्था या प्रथा कि स्वयं मतदाता किसी कानून या संविधान–संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसे विधानमण्डल के पास विचार और मतदान के लिए भेज सकते हैं। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यह प्रणाली स्विट्जरलैण्ड में विशेष रूप से प्रचलित है। भारत में नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में निजी विधेयक पेश करने की छूट है। इसके साथ ही जन समर्थन से अथवा हस्ताक्षर अभियान चलाकर नागरिक सीधे सरकार को भी नए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. **प्रत्याह्वान (प्रतिनिधि वापस बुलाना)** – संसदीय लोकतन्त्र के अन्तर्गत, यह व्यवस्था या प्रथा कि मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्य–काल समाप्त होने से पहले ही पद से हटने के लिए विवश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यह प्रणाली स्विट्जरलैण्ड में विशेष रूप से प्रचलित है। भारतवर्ष में अनेक नागरिक संगठनों द्वारा पिछले अनेक वर्षों से चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की माँग की जा रही है। जिसमे अनेक माँगों के साथ यह माँग भी शामिल है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा न उतरता हो उसे एक सुनिश्चित प्रक्रिया द्वारा वापस बुलाने का प्रस्ताव पारित कर सक्षम स्तर तक पहुँचाएं।
4. **जन सुनवाई** – वह प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत

जन–प्रतिनिधि और सार्वजनिक अधिकारी वर्ग विभिन्न विषयों पर जनता के विचार उनकी समस्यायें जानने का प्रयत्न करते हैं। ये विचार सम्बद्ध अधिकारीवर्ग के सामने मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। हमारे देश में अब यह व्यवस्था लगभग संस्थाबद्ध हो चुकी है जिसे प्रशासन गाँवों/ शहरों की ओर नाम से जाना जाता है।

5. **सलाहकार परिषद्** – आजकल सरकारें अपने विभागों से जुड़े कार्यों के विशेष पक्षों पर सलाह देने के लिए गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बना देती हैं, जिसे सलाहकार परिषद् का नाम दिया जाता है। ब्रिटेन की केन्द्रीय आवास सलाहकार समिति तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद् इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। भारत में अनेक विभागों में ऐसी ही सलाहकार समितियाँ और परिषदें बनाई जाती है।
6. **परिपृच्छा (किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान)** – राजनीतिक सहभागिता का एक स्वरूप यह भी है कि इसके अन्तर्गत, वह प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक महत्त्व के किसी प्रश्न पर – जैसे कि किसी नए कानून, संविधान या संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर – जनसाधारण से मतदान कराया जाता है। जैसे अभी हाल ही में ब्रिटेन में यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए मतदान करावाकर निर्णय लिया गया जिसमें ब्रिटेन की जनता ने सदस्य बने रहने से इन्कार कर दिया।
7. **सविनय अवज्ञा** – वह कार्यवाही जिसमें किसी अन्यायपूर्ण कानून को जान–बूझकर और खुले तौर पर तोड़ा जाता है, या किसी निषिद्ध स्थान पर प्रवेश करके स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी जाती है ताकि किसी विशेष मुद्दे की ओर जनता और सरकार का ध्यान खींचा जा सके। हमारे देश में आए दिन जन–विरोध दर्ज कराने हेतु सक्रिय रूप से नागरिकों द्वारा ऐसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।
8. **राजनीतिक प्रतिहिंसा** – विरोध–प्रदर्शन का सबसे उग्र रूप जिसमें बमबारी, हत्या, उपद्रव, लोगों को बंधक बनाने या सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की कार्यवाही की जाती है। ऐसी कार्यवाही लोकतन्त्र का सरासर उल्लंघन है। लेकिन यह भी देखा गया है कि सरकारें प्रायः ऐसी परिस्थितियों में या तो मौन रहती हैं या फिर झुक जाती हैं।

3.7 राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता –

जन सहभागी लोकतन्त्र के बावजूद यह सही है कि आज के प्रतिनिधि लोकतन्त्र में अपने नागरिकों को निर्णय–प्रक्रिया में सार्थक सहभागिता के बहुत मामूली अवसर मिलते हैं। इसका परिणाम यह है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचक मण्डल को राजनीतिक समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी और अल्प समझ होती है। मतदाता मतदान के प्रति प्रायः उदासीन होते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि सार्वजनिक उत्तरदायित्वों से प्रायः विमुख दिखाई देते हैं। प्रशासन में पद और शक्ति का दुरूपयोग और भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अधिक अवसर मिलें तो वे सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। इससे शक्ति के दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है। अतः राजनीतिक सहभागिता न केवल उत्तम समाज की जरूरी शर्त है बल्कि यह उत्तम जीवन का भी आवश्यक अंग है।

राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता लोकतन्त्र के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्णयों तक पहुँचने में सहायक होती है। नागरिकों की प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता का अधिकतम विस्तार होना आज के युग में आवश्यक हो गया है। आज के बड़े–बड़े राज्यों में इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए दो तरीके उपयुक्त माने जाते हैं–

(क) शासक एवं प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके बहुत सारे निर्णय स्थानीय समुदायों के हाथों में सौंप दिए जायें। भारत में पंचायती राज का विस्तार इसी का उदाहरण है।

(ख) सार्वजनिक नीतियाँ निर्धारित करने की प्रक्रिया में परिपृच्छा अर्थात् किसी विषय या प्रस्ताव को जनता द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया को बढ़ाया जाये।

3.8 राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में दृष्टिकोण –

(1) राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है, या उन्हें बढ़ावा देती है। लोग राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से पहले यह हिसाब लगाते हैं कि इसमें उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना फायदा होगा, और वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में कितने समर्थ सिद्ध होंगें।

(2) सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की सामान्य नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सजगता को बढ़ाती है।

(3) राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए नागरिकों की एकजुटता बढ़ाती है।

राजनीतिक सहभागिता मूलक लोकतन्त्र के समर्थक केवल वर्तमान लोकतन्त्रीय प्रणाली के अन्तर्गत नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाने पर बल देते हैं; इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत नहीं करते। देखा जाए तो सहभागितामूलक लोकतन्त्र के लिए आवश्यक साधन उदार लोकतन्त्र की व्यवस्था और प्रक्रिया में पहले से ही विद्यमान है; सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्यवाही की जरूरत है, सिद्धान्त की नहीं।

राजनीतिक सहभागिता की सक्रियता के पक्षधर जरूरत

से ज्यादा आशावादी दिखाई देते हैं। लोकतन्त्र में जनसाधारण की सहभागिता को एक सीमा तक बढ़ाना ही उपयुक्त होगा; उसके बाद वह हानिकारक सिद्ध हो सकती है। सार्वजनिक निर्णयों, नीतियों और कार्यक्रमों के हितकर परिणाम आने में समय लगता है। इसके अन्तर्गत जन–कल्याण के उद्देश्य से कुछ पक्षों पर बोझ डालने की जरूरत हो सकती है। आम लोगों में इतना धैर्य और इतनी सूझ–बूझ नहीं होती कि वे सब स्थितियों का सही–सही मूल्यांकन कर सकें। यदि उन्हें अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वे अपनी शिकायतों और विवादों को सड़कों पर ले जायेंगे और सामान्य जन–जीवन को अस्त–व्यस्त कर देंगे। जब आम नागरिक भीड़ का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें अनुशासन या नियन्त्रण में रखना मुश्किल हो जाता है। जब लोग जोश में आकर बाहर निकल पड़ते हैं तो उन्हें यह समझाना कठिन होता है कि उन्हें कहाँ पर रूक जाना चाहिए?इसका परिणाम होता है – आए दिन के जलसे–जुलूस, नारेबाजी, रैलियाँ, प्रदर्शन, हड़तालें, धरने और घेराव, बिजली–पानी और बसों को बन्द करने की धमकियाँ, रास्ता–रोको और जेल–भरो आन्दोलन, मार–पीट, पथराव तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने की घटनाऐं। इन हालातों में जो कोई भीड़ इकट्ठी कर सकता हो या भीड़ को जिस दिशा में चाहे, ले जा सकता हो – वह अपनी अनुचित मांगों को भी मनवा लेगा, और जो शान्त–संयत तरीकों से अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता का विवेक संगत उपयोग ही सार्थक परिणाम दे सकता है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- **राजनीतिक सहभागिता का तात्पर्य,** राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की भागीदारी से है।
- **राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप**– विकासपरक व लोकतांत्रिक है।
- **राजनीतिक सहभागिता के दो तरीके** – सामुदायिक गतिविधि, सरकार व नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया।
- **राजनीतिक सहभागिता के अभिकरण** – दबाव समूह, आरम्भक, प्रत्याह्वान, जनसुनवाई, सलाहकार परिषदें, परिपृच्छा, सविनय अवज्ञा, राजनीतिक प्रतिहिंसा।

अभ्यास प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. राजनीतिक सहभागिता का सूत्रपात किन विचारकों ने किया ?
   (अ) व्यवहारवादी
   (ब) उदारवादी
   (स) समाजवादी
   (द) अतिवादी ( )
2. इनमें से कौनसा राजनीतिक सहभागिता का औजार नहीं है ?
   (अ) मतदान करना
   (ब) चुनाव याचिका प्रस्तुत करना
   (स) राजनीतिक दल का चन्दा देना
   (द) देश की सीमा पार करने का प्रयास करना ( )
3. प्रशासन गाँवों/शहरों की ओर कार्यक्रम राजनीतिक सहभागिता के किस अभिकरण का हिस्सा है ?
   (अ) आरम्भक
   (ब) प्रत्याहवान
   (स) जनसुनवाई
   (द) परिपृच्छा ( )
4. 'प्रत्याह्वान ' का तात्पर्य है ?
   (अ) कानूनी प्रस्ताव तैयार करना
   (ब) निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाना
   (स) किसी प्रस्ताव पर मतदान करना
   (द) विशेष अभियान चलाना ( )
5. गैर परम्परागत राजनीतिक सहभागिता के उपायों में कौनसा बेमेल है –
   (अ) सविनय अवज्ञा
   (ब) शासकीय पुरस्कार लौटाना
   (स) नुक्कड़ नाटक
   (द) आत्मघात ( )

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का आरम्भ कहाँ से हुआ था?
2. वर्तमान में लोकतंत्र का कौनसा रूप विद्यमान है ?
3. राजनीतिक उदासीनता का प्रमुख कारण क्या है?
4. राजनीतिक सहभागिता के दो अभिकरणों के नाम लिखिए।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. अभिजात्य वर्ग की अधिक राजनीतिक सहभागिता से क्या आशय है?
2. सामुदायिक गतिविधि किसे कहते हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. राजनीतिक सहभागिता के परम्परागत और गैर–परम्परागत स्वरूपों पर लेख लिखिये।
2. राजनीतिक सहभागिता के पक्ष को रखते हुए आलोचनात्मक विवेचन कीजिये।
3. राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरणों की जानकारी देते हुए उनका इस प्रक्रिया में योगदान बताइए।

बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर

1. अ 2. द 3. स 4. ब 5. द